पी०एम० स्वनिधि योजना

पी.एम. स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यापारियों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य COVID-19 महामारी के बाद, इन व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें पुनः आत्मनिर्भर बनाना है। "स्वनिधि" का अर्थ होता है "स्वयं का धन", और यह योजना व्यापारियों को लघु और तात्कालिक ऋण उपलब्ध कराकर उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है।

पी.एम. स्वनिधि योजना की मुख्य विशेषताएँ:

1. लघु ऋण प्रदान करना:

योजना के तहत, शहरी क्षेत्र के छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपये तक का बिना गारंटी वाला ऋण (loan) दिया जाता है। यह ऋण व्यापारियों को उनके व्यवसाय को पुनः चालू करने के लिए दिया जाता है।

2. ऋण की ब्याज दर:

इस योजना के तहत दिए गए ऋण पर सस्ते ब्याज दर की व्यवस्था की गई है। यदि ऋणधारी समय पर ऋण चुका देते हैं, तो उन्हें ब्याज पर रियायत दी जाती है। इसके बाद, अगर वह समय से ऋण चुकता करते हैं, तो उन्हें फिर से ऋण मिल सकता है, जिससे उनके कारोबार को विस्तार मिलने की संभावना रहती है|

3. सुविधा और समयबद्ध ऋण:

ऋण का पुनर्भुगतान आसान किस्तों में किया जा सकता है, और आमतौर पर इसे 12 महीने के भीतर चुकता करना होता है। इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों को आसानी से ऋण प्राप्त करने और अपने व्यापार को पुनः शुरू करने का अवसर देना है।

4. आवेदन की प्रक्रिया:

व्यापारी इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रारंभिक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, व्यापार का प्रमाण, और बैंक खाता विवरण देना होता है। आवेदन के बाद, पात्र व्यापारियों को ऋण स्वीकृत किया जाता है।

5. लक्षित वर्ग:

छोटे दुकानदार,सड़क किनारे खाने-पीने का सामान बेचने वाले,छोटे व्यवसायी जैसे फल और सब्जी विक्रेता, मूंगफली, चाय, छोटे हार्डवेयर विक्रेता आदि,सड़क पर व्यापार करने वाले लोग

6. लक्ष्य: इस योजना का लक्ष्य लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने का है, ताकि वे अपने कारोबार को फिर से शुरू कर सकें और रोजगार सृजन के अवसरों में वृद्धि हो।

पी.एम. स्वनिधि योजना के लाभ:

आर्थिक आत्मनिर्भरता: छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडरों को बिना गारंटी के ऋण मिलना, उनके व्यापार को फिर से शुरू करने और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करता है।

आसान ऋण उपलब्धता: व्यापारियों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता।

व्यापार को बढ़ावा: व्यापारियों को लघु ऋण मिलने से वे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, सामग्री खरीद सकते हैं, और कामकाजी पूंजी का उपयोग कर सकते हैं।

ब्याज में छूट: समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर में छूट मिलती है, जिससे ऋण चुकाना सस्ता और आसान हो जाता है।

निष्कर्ष:

पी.एम. स्वनिधि योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जो छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यापारियों को COVID-19 महामारी से हुए नुकसान की भरपाई करने का मौका देती है। यह योजना स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित है, और इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।